<u>न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)</u> (पीठासीन अधिकारीः— जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर—आरसीटी / 212 / 2017</u> आर.टी.कं.—172 / 2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र पिपरई			
जिला अशोकनगर म.प्र.। 	3	नभिय	ोगी
विरुद्ध			
1.गिरांज यादव पुत्र बलराम सिंह यादव निवासी कोलूआ रोड अशोकनगर म0प्र0।	उम्र	32	वर्ष
। । । । । । । । । । । । । । । । । ।	अ	भेयुव	त ।

—<u>:: उपार्पण ::</u>— (आज दिनांक 20.06.2017 को घोषित)

- 01. आरक्षी केन्द्र पिपरई द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा. द.वि. की धारा 324, 326 के दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु पेश किया गया।
- 02. यह कि अभियोग पत्र में उल्लेखित धारा 326 भा.द.वि. का विचारण का क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से माननीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय चंदेरी जिला अशोकनगर को प्राप्त होने के कारण उक्त प्रकरण धारा 201 द.प्र.सं. के अंतर्गत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर की ओर उपार्पित किया जाता है।
- 03. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।
- 04. प्रकरण में आरोपी एवं उनके अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी कार्यवाही हेतु आरोपी को दिनांक 10.07.2017 को प्रातः ठीक 11.00 बजे माननीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय चंदेरी जिला अशोकनगर के समक्ष आवश्यक रूप

से उपस्थित करावे।

05. प्रकरण के उपार्पण की सूचना सहायक लोक अभियोजक, चंदेरी की ओर प्रेषित की जावे। निष्पादन लिपिक प्रकरण को व्यवस्थित कर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर की ओर प्रेषित करें।

आदेश पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)